उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग - 2

संख्या - क०नि० -2 - 844/ ग्यारह -9 (47)/17 - उ० प्र० अधि० -1 -2017 -आदेश (11)-2017

लखनऊ : दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित ऐसी सेवा प्रवर्ग की पूर्ति पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा :--

सारणी

क्रम०स०	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति - (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन या उसके द्वारा शासित रजिस्ट्रीकृत किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य	माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)	(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) के अधीन या उसके द्वारा शासित रजिस्ट्रीकृत किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी